निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुराहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या : 176/2022 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

श्रीमती रूकमा देवी पत्नी श्री चन्दाराम बलाई, जाति बलाई, निवासी ग्राम डाबला, तहसील फागी, जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. ग्राम पंचायत मोहब्बतपुरा पंचायत समिति फागी, जिला जयपुर, जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत मोहब्बतपुरा ।
2. दुग्ध सहकारी समिति ग्राम डाबला, जरिये प्रभू नारायण बागडा ग्राम डाबला, तहसील फागी, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बाबत अतिरिक्त जिला कलक्टर दूदू के समक्ष विचाराधीन निगरानी संख्या 162/2022 ब उनवानी रूकमा देवी बनाम ग्राम पंचायत मोहब्बतपुरा को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने ।

उपस्थितः–

1. श्री सत्य नारायण शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।

निर्णय दिनांक 12.09.2022

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि अतिरिक्त जिला कलक्टर दूदू के समक्ष प्रकरण संख्या 162/2022 ब उनवानी रूकमा देवी बनाम ग्राम पंचायत मोहब्बतपुरा विचाराधीन है। जिसे प्रार्थिया ने जयपुर स्थित सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अतिरिक्त जिला कलक्टर दूदू से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई, किन्तु प्राप्त नहीं हुई।
3. बहस एक पक्षीय प्रार्थिया के अधिवक्ता की सुनी गई।
4. प्रार्थिया अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम पंचायत मोहब्बतपुरा के तत्कालीन सरपंच नारायण लाल शर्मा ने प्रार्थिया के रिहायशी का पट्टा अवैद्य रूप से अपने रिश्तेदार अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी कर दिया तथा ग्राम डाबला व अन्य गावों में भी अवैद्य पट्टे जारी कर दिये जिसकी शिकायत उपखण्ड अधिकारी फागी द्वारा जांच में सभी पट्टे गलत प्रकिया अपना कर जारी किये गये है, जिससे संभागीय आयुक्त महोदय जयपुर ने सरपंच नारायण लाल को बर्खास्त कर दिया । ग्राम डाबला में जारी किये गये पट्टों की निगरानियॉं पेश हुई जो सभी स्वीकार हो चुकी है तथा जगदीश व प्रकाश चन्द आदि द्वारा पेश की गई निगरानी भी स्वीकार हो गई है। प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तिम बहस एक पक्षीय

जिला कलक्टर
जयपुर

विचाराधीन है। पूर्व में प्रार्थिया की निगरानी अतिरिक्त कलक्टर द्वितीय जयपुर में पेश हुई थी। जिसमें बहस भी हुई, किन्तु फैसला नहीं हुआ था। पीठासीन अधिकारियों के तबादले होने से निर्णय नहीं हुआ । बाद में सरकार के आदेश से अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय दूदू में खोला गया जहां प्रार्थिया की पत्रावली भी ट्रान्सफर होकर चली गई। अतिरिक्त जिला कलक्टर दूदू के न्यायालय में प्रार्थिया की पत्रावली में दो बार बहस अन्तिम सुनी गई, किन्तु निर्णय नहीं हो पाया जिससे प्रार्थिया बेहद दुखी है। प्रार्थिया वयोवृद्ध 80 वर्षीय है, वह प्रकरण में जल्दी न्याय चाहती है । उक्त पत्रावली को जयपुर में सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। क्यों कि प्रार्थिया के वकील जयपुर में ही रहते है तथा दूदू जाने में प्रार्थिया को आर्थिक नुकसान होता है। अतः उक्त पत्रावली को जयपुर स्थित किसी भी सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने के आदेश फरमावें।

6. प्रार्थिया के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

8. प्रार्थिया ने पक्षकार या पीठासीन अधिकारी पर किसी प्रकार का आरोप नहीं लगाया है। प्रार्थिया ने अपने अधिवक्ता के जयपुर में निवास करने से जयपुर के सक्षम न्यायालय में पत्रावली का स्थानान्तरण किये जाने का निवेदन किया है। चूंकि पत्रवली अन्तिम बहस में नियत है। इस स्तर पर पत्रावली का अन्यत्र स्थानान्तरण किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

7. अतिरिक्त जिला कलक्टर दूदू को प्रेषित कर लेख है कि प्रकरण की मैरिट पर सुनवाई की जाकर यथासम्भव शीघ्र निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

8. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा अतिरिक्त जिला कलक्टर दूदू को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 12.09.2022 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलेक्टर
जयपुर